

## न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला बैतूल (म0प्र0)

::आदेश ::

क्रमांक:- 82/अ-59/2017-18/ 5988

बैतूल दिनांक 14/5/2018

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, पटवारी हल्का नंबर 2 रा. नि. मण्डल बीजादेही तहसील शाहपुर द्वारा, ग्राम ढोढरामउ तहसील शाहपुर स्थित खसरा नंबर 197 रकबा 0.862 हेक्टेयर मद घाँस की भूमि की नोईयत परिवर्तन किए जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाने पर तहसीलदार शाहपुर द्वारा उक्त प्रश्नाधीन खसरा नंबर की नोईयत की परिवर्तन हेतु विधिवत् कार्यवाही करते हुए, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) शाहपुर के माध्यम से प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसके अनुसार वस्तुस्थिति निम्नानुसार पाई गई है:-

- (1)- मौजा ढोढरामउ तहसील शाहपुर स्थित खसरा नंबर 197 रकबा 0.862 हेक्टेयर मद चरनोई की भूमि को आबादी घोषित किए जाने हेतु विधिवत् उद्घोषणा जारी करके आपत्ति आमंत्रित की गई। निर्धारित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।
- (2)- दिनांक 21-3-2018 को आयोजित ग्राम सभा में, मौजा ढोढरामउ तहसील शाहपुर स्थित खसरा नंबर 197 रकबा 0.862 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है।
- (3)- राजस्व अभिलेख (खसरा) वर्ष 2017-18 के अनुसार मौजा ढोढरामउ तहसील शाहपुर स्थित खसरा नंबर 197 रकबा 0.862 हेक्टेयर भूमि चरनोई मद में दर्ज है। अधिकार अभिलेख वर्ष 1968-69 में उक्त खसरा नंबर घाँस मद में दर्ज है।
- (4)- ग्राम ढोढरामउ का मकबूजा रकबा 503.965 हेक्टेयर है, तथा ग्राम में उपलब्ध चरनोई का रकबा 13.332 हेक्टेयर है। ग्राम के मकबूजा रकबा के 2 प्रतिशत के मान से न्यूनतम 10.079 हेक्टेयर चरनोई का रकबा उपलब्ध होना आवश्यक है। वर्तमान में ग्राम में उपलब्ध चरनोई का रकबा, न्यूनतम रक्षित रकबे से अधिक है। चरनोई के उपलब्ध रकबे में से 0.862 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित करने के उपरांत भी चरनोई का न्यूनतम रक्षित रकबा प्रभावित नहीं होगा।
- (5)- उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति के आधार पर तहसीलदार शाहपुर/अनुविभागीय अधिकारी (रा0) शाहपुर द्वारा मौजा ढोढरामउ तहसील शाहपुर स्थित खसरा नंबर 197 रकबा 0.862 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित करने की अनुशंसा की गई है।

2- मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की 237 की उपधारा- (1) के अनुसार कलेक्टर दखलरहित भूमि को लोक प्रयोजनो तथा अन्य प्रयोजनो के लिए जो निस्तार के अधिकार के प्रयोग के लिए विहित किए जाएं पृथक रख सकता है तथा उपधारा- (3) के अनुसार चारागाह, घाँस, बीड़ या चारे के लिए आरक्षित की भूमि को उस ग्राम की कुल कृषिक भूमि के न्यूनतम दो प्रतिशत तक सुरक्षित रखने के पश्चात् दखल रहित भूमि को आबादी, सड़को, राजमार्गो, नहरो, तालाबो, अस्पतालो, विद्यालयो, महाविद्यालयो, गौशालाओ, के निर्माण या राज्य शासन द्वारा अन्य किसी जन उपयोगी परियोजनाओ के लिए व्यवर्तित किया जा सकता है। धारा 243 (1) के अनुसार जहाँ आबादी के लिए आरक्षित क्षेत्र, कलेक्टर की राय में अपर्याप्त हो, वहाँ ग्राम की दखलरहित भूमि मे से ऐसा और क्षेत्र आरक्षित किया जा सकता है। कलेक्टर बैतूल द्वारा जारी कार्य

||

विभाजन आदेश क्रमांक-1/2011/अधी./10842, दिनांक 8-11-2016 तथा समसंख्यक आदेश क्रमांक:- 2489 दिनांक 25-2-2017 द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की समस्त धाराओं के प्रकरणों का निराकरण करने के लिए अपर कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।

3- प्रकरण की उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति, तहसीलदार शाहपुर/अनुविभागीय अधिकारी (रा0) शाहपुर के प्रतिवेदन व अभिमत के आधार पर, मौजा ढोढरामउ तहसील शाहपुर स्थित खसरा नंबर 197 रकबा 0.862 हेक्टेयर मद चरनोई की भूमि को इस शर्त के अधीन आबादी घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि का विधिवत् अभिन्यास बनाया जाकर, नियमानुसार पात्रता रखने वाले व्यक्तियों को आवासीय पट्टा प्रदान करने की कार्यवाही की जाएगी।



(मूलानन्द वर्मा)  
अपर कलेक्टर  
जिला-बैतूल.

पु0क्र0:- 82/अ-59/2017-18/ 5988  
प्रतिलिपि:-

बैतूल दिनांक 14/5/2018

- 1- अनुविभागीय अधिकारी (रा0) शाहपुर की ओर सूचनार्थ।
- 2- तहसीलदार शाहपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आदेशानुसार अभिलेख में यथा आवश्यक संशोधन करके, संशोधित अभिलेख की प्रति तत्काल प्रस्तुत करें।
- 3- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।
- 4- जनसम्पर्क अधिकारी बैतूल की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- 5- सचिव ग्राम पंचायत ढोढरामउ जनपद पंचायत शाहपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अपर कलेक्टर  
जिला-बैतूल.